जागरण YAHOO! INDIA दैनिक जागरण e PAPER

बदल गई फाइलों की सूरत व गति भी पटना, जागरण ब्यूरो : बाबू हों या साहब सचिवालय के विभागों में उनके टेबुल पर पड़ी फाइलों का अंदाज नया था। गंदी या बिखरी हुई फाइलों के बदले कवर का चेहरा नया था। सफेद कागज चिपका हुआ। खाने बने हैं., क्रमांक, अधिकारी, कर्मचारी का नाम, प्राप्ति की तिथि, संचिका संख्या, विभाग, विषय। इसी तरह के खाने बने हैं। ब्योरा भी दर्ज है। दरअसल फाइल एक अधिकारी या कर्मचारी के पास तीन दिनों से अधिक न रहने का प्रावधान पुराना प्रावधान है। कार्यसंस्कृति में सुधार के लिए सरकार इसे सख्ती से लागू करना चाहती है। संचिका के कवर पर फाइल की प्राप्ति और रवानगी कर ब्योरा दर्ज किया जाना है। इसी मकसद से सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 अप्रैल को निर्देश जारी किया। कहा गया कि 25 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू होगी। उस तिथि से ही बिना प्रविष्टि के संचिका किसी भी स्तर पर प्राप्त न की जायेगी। पहले दिन परेशानी वित्त, सामान्य प्रशासन, विधि जैसी उन विभागों में रही जहां दूसरे विभाग से संचिका आती है। चूंकि वे पहले से गतिमान हैं। इन विभागों में पहले से पहुंची हुई संचिकाओं पर काम चलता रहा तो बिना कवर-फार्मेट वाली नयी संचिकाओं को वापस कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने तो इस तरह की छपी हुई फाइल के लिए आदेश भी दे दिया। कवर के साथ बैक कवर पर भी ब्योरा दर्ज करने का प्रावधान रहेगा। मकसद यह कि अलग से कागज का फार्मेट चिपकाने की जरूरत न पड़े। आदेश का असर यह भी रहा कि कतिपय विभागों में लोग फाइलों को अपने टेबुल से जल्द से जल्द निपटाने में लगे रहे। जहां फाइलों की भीड़ रहती थी, आज साफ रखने की होड़ थी।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति